भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
मुख्यालय, नई दिल्ली

सं.16/62/2018-Admn.II/E.227894 **दिनांक:24/09/2026**

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: परिषद मुख्यालय में आयोजित आधिकारिक बैठकों/कार्यक्रमों हेतु जलपान/भोजन की व्यवस्था के संबंध में।

परिषद मुख्यालय में आयोजित आधिकारिक बैठकों/कार्यक्रमों के दौरान जलपान/भोजन की व्यवस्था हेतु प्रपत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सरल एवं सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित प्रभाग के प्रमुख (Head of Division) द्वारा मोहर सहित विधिवत हस्ताक्षरित प्रपत्र को ही पर्याप्त प्राधिकरण माना जाएगा।

2. अतः अब आधिकारिक बैठकों/कार्यक्रमों हेतु जलपान/भोजन की व्यवस्था के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले प्रपत्र पर सहायक महानिदेशक (प्रशासन) के पूर्व हस्ताक्षर प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा। संबंधित प्रभाग के प्रमुख (Head of Division) द्वारा मोहर सहित विधिवत हस्ताक्षरित प्रपत्र के आधार पर आवश्यक व्यवस्था की जा सकेगी।

2. संबंधित प्रभाग यह सुनिश्चित करेगा कि जलपान/भोजन केवल आधिकारिक बैठकों/कार्यक्रमों के लिए तथा वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप ही की जाए। प्रपत्र में बैठक/कार्यक्रम का नाम, स्थान, दिनांक एवं समय तथा प्रतिभागियों की संख्या आदि का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना आवश्यक होगा। प्रपत्र का निर्धारित प्रारूप संलग्न है।

3. सभी प्रशासन अनुभागों से संबंधित बैठकों/कार्यक्रमों के मामलों में उक्त प्रपत्र पर उप महानिदेशक (प्रशासन) [DDG (A)] के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे।

4. यह आदेश परिषद मुख्यालय में आयोजित आधिकारिक बैठकों/कार्यक्रमों के संबंध में लागू होगा तथा तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

Digitally signed by
Jaibir Singh
Date: 25-09-2026
16:54:20

(जयबीर सिंह)

सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि :

1. महानिदेशक/अपर महानिदेशक/वरि.उपमहानिदेशक (प्रशा.)/वरि.वित्त सलाहकार के निजी सचिव
2. परिषद के सभी प्रभाग प्रमुख
3. उपमहानिदेशक (प्रशा.)/सहा. महानिदेशक (प्रशा.)/सहायक महानिदेशक (वित्त)
4. सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/लेखा अधिकारी
5. कैंटीन प्रबंधक– आवश्यक कार्रवाई हेतु
6. डॉ मनजीत सिंह चालगा, आई.सी.एम.आर. की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।